



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-220985
CG-DL-E-08082020-220985

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2337]
No. 2337]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2020/श्रावण 15, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2020/SHRAVANA 15, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2020

का.आ. 2636(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, एसा। ओ 398 (अ) दिनांक 24/01/2020 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्गा जिले में NH150A के कि.मी. 308.55 से कि.मी.358.5 (स्पेशल लैंड एक्वीजीशन अफसर, नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ़ India, हीरियर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " दिनांक:26/02/2020 " को "विजयवानी " और "डेक्कन-हेराल्ड " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्गा जिले में NH150A के कि.मी. 308.55 से कि.मी.358.5 (स्पेशल लैंड एक्वीजीशन अफसर, नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ़ India, हीरियर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: चित्रदुर्गा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: चल्लकेरे				
	गांव का नाम: मन्नेकोटे				
1	144	निजी	ड्राई	0.0202	ड्राइवर थिपस्वामी चालेकरे सोरैया , ओबम्मा डब्ल्यू / थिपस्वामी, थिपस्वामी एस/ओ सोरैया, शांतम्मा डब्ल्यू/ओ सोरैना, सन्ना थिपया एस/ओ सोरैया (144)
2	146	निजी	ड्राई	0.0202	अकरा कांडा बंजारू (146)
3	147	निजी	ड्राई	0.0101	अप्पन्ना एस/ओ थिमैया, दप्पा एस/ओ थिमैया (147/2A)
4	147	निजी	ड्राई	0.0101	टी लिंगरेड्डी एस/ओ कापरुदा थिमरेडी (147/2B)
5	147	निजी	ड्राई	0.0101	टिम्मारेडी एस/ओ लिंगरेड्डी

					(147/2C)
6	148	निजी	ड्राई	0.0303	जी. गुंडाया, जी. गुरप्पा, जी. गोविंदप्पा, जी. टिम्मप्पा, जी. थिपस्वामी, जी. आनंद एस/ओ स्वर्गीय लख्मया याने गुंडय्या (148)
7	161	निजी	ड्राई	0.1719	थिप्पम्मा डब्ल्यू/ओ स्वर्गीय कोनासना (केएस) वीरभद्रप्पा (१६१/१)
8	162	निजी	ड्राई	0.0303	बोरय्या एस / ओ पालय्या (१६२/१ब)
9	162	निजी	ड्राई	1.6895	1) गोरियाहा, रजियाहा, एन बोरायाह एस / ओ लेट निंगैयाहा, 2) एस.पी.बोरैया एस / ओ गोपालैया, 3) थिमप्पा, वेंकटप्पा और आदि (संयुक्त रूप से) 4) बी अशोक एस / ओ आर.पी.भिमैया 5) ओबम्मा डब्ल्यू / ओ बोरैया 6) जी श्रीनिवासालु एस / ओ जी गोविंदप्पा (१६२ / ३ ा १)
10	162	निजी	ड्राई	0.0101	अशोक (गैर कृषि) (१६२/ ३ ा २)
11	162	निजी	ड्राई	0.0809	टीवी महेश एस/ओ टी.एस.विरूपाप्पा (१६२/ ३ बी)
12	164	निजी	ड्राई	0.1972	हुलू बन्नी खाराबू (१६४)
13	165	निजी	ड्राई	0.0404	टी वी नागेश एस/ओ टी एस विरूपाप्पा (१६५/३)
14	215	निजी	ड्राई	0.1592	एरामा डब्ल्यू/ओ करियाना, लक्षम्मा डब्ल्यू/ओ ओबाया, गुंडु बोराया एस/ओ बडाया, थिपस्वामी एस/ओ संतजजी थिपन्ना, बंजय एस/ओ ओबाया, बोमक्का डब्ल्यू/ओ रेड्डीहल्ली ओबाया, बोमया एस/ओ लोकीकेरे ओबाया, बी बोमन्ना एस/ओ बोराया, मोशमांबी डब्ल्यू/ओ लेट (२१५)

15	270	निजी	ड्राई	0.0446	टी हनुमंतरेड्डी एस/ओ थिमप्पा, टी बसवराजा एस/ओ थिमप्पा (२७०/१)
16	277	निजी	ड्राई	0.0177	सुशीलाम्मा डब्ल्यू/ओ हनुमंतरेड्डी (२७७/२ब)
17	278	निजी	ड्राई	0.0203	बी लिंगरेड्डी एस/ओ बालेकेयी बसप्पा (२७८/१)
18	278	निजी	ड्राई	0.0506	शांतम्मा डब्ल्यू/ओ नागार्डी (२७८/२)
19	278	निजी	ड्राई	0.0202	बी लिंगरेड्डी एस/ओ बालेकेयी बसप्पा (२७८/३)
20	278	निजी	ड्राई	0.0202	एन भीमरेड्डी एस/ओ नगरेड्डी (२७८/४)
21	293	निजी	ड्राई	0.0182	सरकार गोमाला (२९३)
22	300	निजी	ड्राई	0.0101	बी.एन.भीमअरेड्डी एस/ओ नागप्पा (३००/१)
23	301	निजी	ड्राई	0.4754	नागाजा पल्लक्की, बसवराजा एस/ओ स्वर्गीय पल्लाकी वीरन्ना, हनुमक्का डब्ल्यू/ओ स्वर्गीय पल्लेक्काप्पा याने पल्लकी (३०१/१, 301/2)
24	302	निजी	ड्राई	0.0155	बी लिंगरेड्डी एस /ओ बालेकेयी बसप्पा (३०२)
25	314	निजी	ड्राई	0.0557	चंद्रम्मा डब्ल्यू/ओ स्वर्गीय अनंतरेड्डी, कृष्णरेड्डी एस/ओ दसारेड्डी, रविकुमार एस/ओ दसारेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी एस/ओ दसारेड्डी, कनकरेड्डी एस/ओ दसारेड्डी, हनुमंतरेड्डी एस/ओ दसारेड्डी (३१४/१ ३१४/२ ३१४/३ ३१४/४ ३१४/५ ३१४/६ ३१४/७)
			कुल	3.2290	

[फा. सं. NHAI/LA/RO-BNG/KNT/HOSPET/3A2/3D2]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th August, 2020

S.O. 2636(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.398(E), Dated:24/01/2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH150A on the stretch of land from Km. 308.55 to Km. 358.5 (Special Land Acquisition Office, National Highways Authority of India, Hiriyr) in the district of CHITRADURGA in the state of KARNATAKA

And whereas the substance of the said notification has been published in “vijayavani” and “Deccan-Herald” both dated 26/02/2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH150A in the stretch of land from NH150A (Special Land Acquisition Office, National Highways Authority of India, Hiriyr) in the district of CHITRADURGA in the state of KARNATAKA.

State: KARNATAKA District: CHITRADURGA					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Challakere				
	Viilage: Mannekote				
1	144	Private	dry	0.0202	driver thippeswamy challakere soorayya , obamma w/o s . thippeswamy , Thippeswamy s /o soorayya , Shanthamma w / o sooranna , Sanna thippayya s / o soorayya 144
2	146	Private	dry	0.0202	akara kanda banjaru 146
3	147	Private	dry	0.0101	Appanna S/o Thimmayya , Dasappa S/o Thimmayya 147/2A

4	147	Private	dry	0.0101	T. Lingareddy S/o Kapruda Thimmareddy 147/ 2B
5	147	Private	dry	0.0101	Thimmareddy S/o Lingareddy 147/2C
6	148	Private	dry	0.0303	G.Gundayya , G. Gurappa , G.Govindappa, G.Timmappa, G.Thippeswamy, G.Ananda S/o Late Lakshmayya yaane Gundayya 148
7	161	Private	dry	0.1719	Thippamma W/o Late Konanasannanna (K.S.) Veerabhadrapa 161/1
8	162	Private	Dry	0.0303	Borayya S/o Palayya 162/1B
9	162	Private	Dry	1.6895	1)Guraiaha, Rajaiaha, N Boraiah S/o Late Ningaiaha, 2)S.P.Boraiah S/o Gopalaiah, 3)Thimmappa, Venkatappa and etc (jointly) 4)B Ashok S/o R.P.Bhimaiah 5)Obamma W/o Boraiah 6) G.Srinivasalu S/o G.Govindappa 162/3A1
10	162	Private	Dry	0.0101	Ashok (Non Agriculture) 162/3A2
11	162	Private	Dry	0.0809	T.V.Mahesh S/o T.S.Virupakshappa 162/3B
12	164	Private	dry	0.1972	Hullu Banni Kharabu 164
13	165	Private	dry	0.0404	T V Nagesh S/o T S Virupakshappa 165/3
14	215	Private	dry	0.1592	Eramma W/o Kariyanna, Lakshamma W/o Obayya, Gundu Borayya S/o Badayya, Thippeswamy S/o Santajji Thippanna, Banjaya S/o Obayya, Bommakka W/o Reddyhalli Obayya, Bommayya S/o Lokikere Obayya, B Bommanna S/o Borayya , Moshumbi W/o Late Allabakshi 215
15	270	Private	dry	0.0446	T Hanumanthareddy S/o Thimmappa, T Basavaraja S/o Thimmappa 270/1
16	277	Private	dry	0.0177	Susheelamma W/o Hanumanthareddy 277/2B

17	278	Private	dry	0.0203	B Lingareddy S/o Balekayi Basappa 278/1
18	278	Private	dry	0.0506	Shanthamma W/o Nagareddy 278/2
19	278	Private	dry	0.0202	B Lingareddy S/o Balekayi Basappa 278/3
20	278	Private	dry	0.0202	N Bhimareddy S/o Nagareddy 278/4
21	293	Private	dry	0.0182	Government Gomala 293
22	300	Private	dry	0.0101	B.N.Bhimareddy S/o Nagappa 300/1
23	301	Private	dry	0.4754	Nagaraja Pallakki , Basavaraja S/o Late Pallakki Veeranna, Hanumakka W/o Late Pallekappa Yaane Pallakki 301/1, 301/2
24	302	Private	dry	0.0155	B Lingareddy S /o Balekayi Basappa 302
25	314	Private	dry	0.0557	Chandramma W/o Late Ananthreddy , Krishnareddy S/o Dasareddy, Ravikumar S/o Dasareddy, Srinivasa Reddy S/o Dasareddy, Kanakareddy S/o Dasareddy, Hanumanthareddy S/o Dasareddy 314/1, 314/2, 314/3, 314/4, 314/5, 314/6, 314/7
			TOTAL	3.2290	

[F. No. NHAI/LA/RO-BNG/KNT/HOSPET/3A2/3D2]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.